20/6/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम नाथा की नांगल पटवार मण्डल नाथा की नांगल स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 51 व 64 की खातेदारी में वादी का नाम रमेश पुत्र कन्हैया दर्ज रिकार्ड है जो गलत है जबकि वादी का सही नाम लीलाधर पुत्र कन्हैयालाल है, वादी के सभी सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम लीलाधर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है। अतः वादी का सही नाम लीलाधर पुत्र कन्हैयालाल है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम रमेश पुत्र कन्हैया गलत दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, शैक्षणिक दस्तावेज की प्रतियां पेश की जिनमे वादी का सही नाम लीलाधर पुत्र कन्हैयालाल है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित शपथ पत्र व गवाहान के रुप में धर्मसिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी नाथा की नांगल, राजेश पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी नाथा की नांगल, नरेश पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी नाथा की नांगल प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमेश पुत्र कन्हैया अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावेजी नाम लीलाधर पुत्र कन्हैयालाल है की पुष्टि आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज से होती है। वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नाथा की नांगल पटवार मण्डल नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 51 व 64 में दर्ज खातेदार रमेश पुत्र कन्हैया के स्थान पर लीलाधर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु नकल डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्राावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature N
Digitally signed
Yadav
Date: 2024.11.
Reason: SelfAt